

का. नं. 19 गैर ए. ए. जे. डी. ए. गैर ए.
 49/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में
	<p>प्राथमिकता लाने की अनुमति के साथ विद्यमान कानून-बाहरी अतः बकील प्राथमिकता प्राथमिकता पर आदेश 23 नियम 1 CPC सहपरित धारा 15। का स्विकार किया जाय बकील प्राथमिकता पुनः अथवा प्राथमिकता पर फेर। कानून के साथ अनुमति देने हुए बकील प्राथमिकता प्राथमिकता पर स्विकार किया जाता है। पत्रावली केसल सुमाट सेक्टर सार्विकल सल्लर से।</p>	

अध्यापक अधिकारी
 कोर्ट

